कार्यालय जनपद न्यायाधीश, इलाहाबाद।

आदेश संख्या – 119 दिनांकः अप्रैल 29, 2021

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या **1623/JR(C) दिनांकित 27 अप्रैल, 2021** के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या **574 सन् 2020, In-Re Inhuman Condition at Quarantine Centers And For Providing Better Treatment To Corona Positive Vs. State of U.P.** में पारित आदेश **दिनांकित 27.04.2021** का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट याचिका के,

प्रस्तर 19(ix) में यह निर्देशित किया गया है कि **"राज्य सरकार, सरकारी अस्पतालों और चिन्हित निजी अस्पतालों और अन्य कोविड सेन्टरों में होने वाली प्रत्येक मौतों को जिला जज द्वारा नामित न्यायिक अधिकारी को सूचित करेंगे।"**

प्रस्तर 28 में यह निर्देशित किया गया है कि **"जनपद लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर नगर, आगरा, गोरखपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, झाँसी के जनपद न्यायाधीश एक न्यायिक अधिकारी, जो कि सिविल जज वरिष्ठ श्रेणी या उससे उच्च पद धारित करता हो, को नामित करेंगे।"**

प्रस्तर 29 में यह निर्देशित किया गया है कि **"ऐसे नामित अधिकारी महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय को प्रत्येक सप्ताहान्त में उक्त रिपोर्ट को प्रेषित करेंगे, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के समय प्रस्तुत की जायेगी।"**

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में **श्री मनीष निगम, अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष संख्या–21/चेयरमैन, कोविड–19 पेन्डेमिक प्रिवेन्शन कमेटी, इलाहाबाद** को **नोडल अधिकारी** नामित किया जाता है, जो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

तद्नुसार सभी सम्बन्धित सूचित हों।

29.4.2021

(अमर जीत त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
इलाहाबाद।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रयागराज।
4. श्री अनूप कुमार राय, संयुक्त निबन्धक (अनुपालन), माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

आज्ञा से

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय,
इलाहाबाद।